PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

जिलाधिकारी, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 25-10-99 के द्वारा उ0 प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के यथासंशोधित नियम-4(1) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की तहसील व परगना अकबरपुर के लिए भूमि के मूल्यांकन, गैरवाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिए न्यूनतम दरें और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 2-11-99 से प्रभावी होंगी तथा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी:-

तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात

क्र0सं0	किस्म जमीन	निर्धारित रेट प्रति एकड़
1-	सिंचित	1,20,000/-
2-	असिंचित	1,00,000/-

नोट:-

1- अकबरपुर तहसील में औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि 2,65,000/- प्रतिबीघा होगी।

2- औद्योगिक क्षेत्र रनियां, उमरन, बारा, खानचन्दपुर, जैनपुर, नवीपुर, सिकन्दपुर, चिरौरा, फतेहपुर रोशनाई, रुपपुर, रायपुर कुकहट, बनारअलीपुर, मुबारकपुर लाटा, लोटीपुर, प्रसिद्धपुरभांट, किसरवल, शेरपुर तरौंदा, जलालपुर नारिन, मोहाना में औद्योगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि की दरें 3,15,000/- प्रतिबीघा होंगी।

3- पांच बिस्वा तक कृषि भूमि का हस्तान्तरण की दर 1,50,000/- प्रतिबीघा होगी। यदि सह खातेदार को विक्रय किया जाय अथवा मेड़ से मेड़ लगी हो तो ऐसी भूमि की दर 65,000/- प्रतिबीघा होगी।

4- औद्योगिक क्षेत्र रनियां, उमरन, बारा, खानचन्दपुर, जैनपुर, नवीपुर, सिकन्दपुर, चिरौरा, फतेहपुर रोशनाई, रुपपुर, रायपुर कुकहट, बनारअलीपुर, मुबारकपुरलाटा, लोटीपुर, प्रसिद्धपुर भांट, किसरवल, शेरपुर तरौंदा, जलालपुर नारिन, मोहाना में कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि की दर 85,000/- प्रतिबीघा होगी।

5- कस्बा अकबरपुर में नवनिर्मित तहसील के चारोओर तीन किलोमीटर तक रोड के दोनो ओर 500मीटर तक कृषि भूमि का बाजारूमूल्य 1,25,000/- प्रतिबीघा होगा तथा इसके बाद की भूमि की दर 1,10,000/- प्रतिबीघा होगी।

6- निर्माणाधीन (जहाँ निर्माण कार्य प्रगति पर है) कानपुर देहात का जिला मुख्यालय माती किसनपुर के चारोओर 3 किलोमिटर की परिधि में रोड के दोनों ओर 500मी0 तक कृषि भूमि का बाजारू मूल्य 2,65,000/- प्रतिबीघा होगा तथा इसके बाद की भूमि का बाजारू मूल्य 1,75,000/- प्रतिबीघा होगा।

7- टाउनएरिया कस्बा अकबरपुर, शिवली, एवं रूरा में कृषि भूमि का बाजारू मूल्य क्रमशः 1,40,000/-रु0, 1,15,000/-रु0 व 1,85,000/- प्रतिबीघा होगा।

PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

8- उपरोक्त स्पष्ट दरों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राज मार्ग, जनपदीय मार्ग, एवं ग्रामीण लिंकमार्ग पर पड़ने वाली कृषि भूमि की दरें सामान्य दरों से क्रमशः - 50%, 25% एवं 15% अतिरिक्त मूल्यांकन पर देय होगीं।

आवासीय

1- टाउनएरिया अकबरपुर में कानपुर रोड, माती किसनपुर रोड, अकबरपुर रोड, आबादी के भीतर मुख्य बाजार एवं पुरानी सड़क, तहसीलरोड, स्टेशन रोड मुख्यरोड पर 200मीटर की दूरी तक 700/- प्रतिवर्गमीटर की दर से स्टाम्पशुल्क देय होगा एवं इसके पश्चात 600/- प्रतिवर्गमीटर की दर से स्टाम्पदेय होगा।

2- टाउन एरिया अकबरपुर, रूरा एवं शिवली मुख्य बाजार व मेटलरोड के दोनों ओर की भूमि 100मीटर तक की दरे 700/- प्रतिवर्गमीटर की दर से देय होगीं एवं इसके पश्चात की भूमि की दरें 650/- प्रतिवर्गमीटर देय होगी।

3- तहसीलक्षेत्र के अन्य प्रगतिशील गांवों तथा रनियां, बारा, विधपकपुर, जैनपुर, नदीपुर, गजनेर, स्वरूपपुर, फतेहपुर रोशनाई, रायपुर कुकहट, खानचन्दपुर, बनारअलीपुर, लालपुर उमरन, शेखपुर करौंदा, पातेपुर की भूमि की दरें 650/- प्रतिवर्गमीटर होगीं।

4- कस्बा रूरा के समीप स्थित भटौली, अम्बरपुर गुमैहा, किसनपुर, जगदीशपुर, एवं सरवनखेड़ा व मैथा में 450/- प्रतिवर्गमीटर की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।

5- भाऊपुर, गारब, माण्डा, मारग, तिगाई, बेरीसवाई, नरिहा, मुक्तापुर, बरौला, सरबाटप्पा में 375/- प्रतिवर्गमीटर की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।

6- अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि की दरें 225/- प्रतिवर्गमीटर होगीं।

7- तहसील में सड़क के किनारे स्थित अन्य ग्रामों में आवासीय भूमि की दरें 300/- प्रतिवर्गमीटर देय होगीं।

8- नवनिर्माणाधीन जिला मुख्यालय के 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों की भूमि का आवासीय रेट 750/- प्रतिवर्गमीटर होगा।

9- शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं सड़क के किनारे स्थित ग्रामों में निर्माण मूल्यांकन 3500/- प्रतिवर्गमीटर एवं अन्य ग्रामों में 2500/- प्रतिवर्गमीटर की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।

10- गैर आवासीय व अर्धआवासीय या ऐसे भवन जो पूर्णतया: आवासीय नहीं है, शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम किराया 20/- प्रतिवर्गमीटर होगा तथा ग्रामीणक्षेत्र के लिए 10/- प्रतिवर्गमीटर होगा।

उक्त दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें हैं किन्तु यदि किसी क्षेत्र विशेष में बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से अधिक है

।क्रमशः 3 पर।..

PARIHAR ASSOCIAT
Valuation Company 094154782

तो तदनुसार उच्चतर बाजार दर पर ही निबन्धन किया जायेगा। उपनिबन्धक तदनुसार ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उच्चतर दरें ही लेंगे यदि उक्त सम्पत्ति के बाजार दर से कम की मत पर निबन्धन किया जाता है तो तदनुसार दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, उ0 प्र0 शासन, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 लखनऊ।
2- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर सचिव, राजस्व परिषद उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- जिला निबन्धक, कानपुर देहात।
5- सहायक स्टाम्प आयुक्त, कानपुर देहात।
6- परगनाधिकारी/तहसीलदार, अकबरपुर।
7- उपनिबन्धक, अकबरपुर।।

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कानपुर देहात।

प्रतिहस्ताक्षरित।

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।